भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1599
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

टोंक-सवाई माधोपुर में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन

1599. **श्री हरीश चंद्र मीना**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर लोक सभा संसदीय क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के बुनियादी ढांचे (कक्षाएं, शौचालय, पेयजल, बिजली, रैंप आदि) को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला-वार कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत, खोले गए और उन्नत किए गए नए स्कूलों की ब्लॉक-वार संख्या कितनी है; और
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेषकर लड़कियों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर कितनी है और इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ साझेदारी में लागू की जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है। बाद में इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों और समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुमोदित एडब्ल्यूपी और बी के अनुसार विभिन्न मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती है। निधियों का व्यय उनकी प्राथमिकता के अनुसार आवश्यकता के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के तहत, केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को चार किश्तों में निधियां जारी करती है और मध्यवर्तन-वार जारी नहीं की जाती है। राज्य योजना के तहत प्रदान किए गए मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन के आधार पर जिला, ब्लॉक और सरकारी स्कूलों को निधियां जारी करता है।

विगत पांच वित्त वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य (टोंक-सवाई माधोपुर, लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित) के लिए समग्र शिक्षा के तहत जारी किए गए केंद्रीय आवंटन और केंद्रीय भाग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	केंद्रीय आवंटन (करोड़ रुपये में)	जारी केंद्रीय भाग (करोड़ रुपये में)
2020-21	2730.19	2259.43
2021-22	2730.19	2405.82
2022-23	3452.19	2138.61
2023-24	3560.25	3202.89
2024-25	3560.25	3090.65

(ख): विगत पांच वर्षों के दौरान टोंक-सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत, खोले गए और उन्नयित किए गए नए स्कूलों की संख्या का ब्लॉक-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिला	**ब्लॉक**	**वर्ष**	**प्रकार**	**स्कूल की संख्या**
टोंक	निवाई	2022-2023	माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक (अतिरिक्त विषय सहित) में उन्नयन	2
	उनियारा	2022-2023		1
	उनियारा	2023-2024	पीएस से यूपीएस में उन्नयन	1
सवाई माधोपुर	खंडार	2022-2023	माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक (अतिरिक्त विषय सहित) में उन्नयन	2
	गंगापुर सिटी	2022-2023		1

स्रोत:प्रबंध

(ग): समग्र शिक्षा योजना के मुख्य क्षेत्रों में से एक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर और स्कूल न आने वाले बच्चों (ओओएससी) की संख्या को कम करना है। इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाने गए स्कूल न आने वाले बच्चों (ओओएससी) के आंकड़ों को संकलित करने और उन्हें प्रबंध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ मानचित्रित करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओओएससी को मुख्यधारा में लाने की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा अपलोड किए गए अभिज्ञात ओओएससी और एसटीसी की शिशु-वार जानकारी की पुष्टि करता है।

इस योजना में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलने और सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, पीवीटीजी/एसटी बच्चों के लिए पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए के तहत छात्रावास, निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, परिवहन भत्ता का प्रावधान और नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्कूल न आने वाले बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से और आवासीय और गैर-आवासीय बड़े बच्चों के प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल न आने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा संरचना में लाने के लिए मौसमी छात्रावासों या आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा का प्रावधान भी उपलब्ध है। आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में पढ़ रहे स्कूल न आने वाले बच्चों के अधिगम की कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा ब्रिज कोर्स मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायक सामग्री एवं उपकरण, ब्रेल किट और किताबें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को छात्रवृत्ति आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

राजस्थान राज्य द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान टोंक-सवाई माधोपुर, लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर (लड़कियों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों सहित) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जिला	**शैक्षणिक वर्ष**	**प्राथमिक बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर**	**उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर**	**प्रारंभिक बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर**	**माध्यमिक बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर**
		कुल	**कुल**	**कुल**	**कुल**
सवाई माधोपुर	2020-21	0.30	0.97	0.52	7.60
	2021-22	3.91	2.28	3.38	6.73
	2022-23	8.69	5.77	7.72	13.96
	2023-24	10.40	7.06	9.26	12.73
	2024-25	8.07	4.25	6.71	7.65
टोंक	2020-21	0.30	2.17	0.93	7.27
	2021-22	3.22	2.38	2.93	4.82
	2022-23	6.99	4.66	6.18	11.66
	2023-24	8.37	6.00	7.52	10.71
	2024-25	5.73	4.65	5.33	7.87

****